17/3

बिहार सरकार

समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
(जिला राजस्व प्रशाखा)

पत्रांक.............../

प्रेषक,

समाहर्त्ता,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

सेवा में,

संयुक्त सचिव–सह–अपर विधि परामर्शी,
विधि विभाग,
बिहार, पटना।

मोतिहारी, दिनांक ....

विषयः– **बिहार विधानसभा में दिनांक–07.03.2022 को ध्यानाकर्षण सूचना से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंगः– **विधि विभाग के पत्रांक–एल0आर0टी0–02–वि0स0(ध्याना0)–13/2022–1255/जे0 दिनांक–05.03.2022**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से बिहार विधानसभा में दिनांक–07.03.2022 को ध्यानाकर्षण सूचना से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने हेतु प्राप्त हुआ है। तदालोक में निम्न प्रकार से ध्यानाकर्षण सूचना से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जा रही है।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील संख्या–4850/2021 (ARISING OUT OF SLP (CIVIL) NO.- 33675 OF 2017) के अनुसार कंडिका–27 में देश के सभी राज्यों के मठ/मंदिरों की परिसम्पत्तियों को किसी सेवादार को बेचने का अधिकार नहीं है, सेवादार हकदार नहीं है। सेवादार का नाम सिर्फ राजस्व विभाग के रिमार्क कॉलम में ही रह सकता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन।	पूर्वी चम्पारण, जिला अन्तर्गत मठ/मंदिरों की परिसम्पत्तियों को किसी सेवादार के द्वारा बेचने की सूचना प्राप्त नहीं है। सूचना प्राप्त होने पर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाऐगी।
2	अपने अधीनस्थ क्षेत्र के अधीन मठ/मंदिर जो निबंधित/अनिबंधित है, का कुल संख्या प्रमंडलवार/जिलावार खाता, खेसरा, रकबा (एकड़) में उपलब्ध कराया जाय। साथ ही दरभंगा प्रमंडल में 5533 एकड़, मुंगेर प्रमंडल में 3373 एकड़, तिरहुत प्रमंडल में 5800 एकड़ भूमि से संबंधित वांछित सूचना के संबंध में संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त समीक्षा कर प्रतिवेदन उपलब्ध करायें।	पूर्वी चम्पारण जिला में 137 निबंधित मठ अवस्थित है, जिसकी कुल रकबा 5874 एकड़ के लगभग है। समीक्षा हेतु सूची प्रमण्डलीय आयुक्त महोदय को भेज दी गयी है।

Scanned with CamScanner

बिहार सरकार

3	अपने अधीनस्थ धार्मिक न्यास के अंतर्गत चिन्हित/सर्वेक्षित मठ/मंदिर की भूमि की पैमाईश कराकर पिलरिंग हेतु वांछित राशि से संबंधित आवंटन का मांग प्रतिवेदन।	चिन्हित सर्वेक्षित मठ/मंदिरों की भूमि की पैमाईश कराकर पिलरिंग कार्य हेतु आदेश धार्मिक न्यास पर्षद से संबंधित।
4	अपने अधीनस्थ धार्मिक न्यास के अंतर्गत मठ/मंदिर की वैसी जमीन जिसपर अवैध कब्जा है, उसकी पूरी सूची एवं उसे मुक्त कराने एवं बिक्री पर रोक लगाने की क्या कार्रवाई की गयी, इससे संबंधित कार्रवाई प्रतिवेदन।	मठ/मंदिरों की जमीन की अवैध बिक्री पर रोक लगा हुआ है। नये मामलें प्रकाश में आने पर रोक हेतु कार्रवाई की जायेगी।

सूचनार्थ।

विश्वासभाजन

समाहर्त्ता

पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 103 /जि0रा0 दिनांक 7.3.22

प्रतिलिपिः– आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

7/3/22

समाहर्त्ता

पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

Scanned with CamScanner